भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 11

उत्तर देने की तारीख 19जुलाई, 2021

सोमवार, 28आषाढ़,1943(शक)

महिलाओं का कौशल विकास

11 श्री जी.एम. सिद्देश्वर: कुमारी राम्या हरिदास:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि महिलाओं की नियोजनीयता बढ़ाने हेतु उनके कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के पिछले तीन वर्षों के दौरान अपेक्षित परिणाम निकले हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य तथा योजना/कार्यक्रम-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताओं/भ्रष्टाचार के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य तथा योजना/कार्यक्रम-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केंद्र सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख)राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यशीलता नीति बेहतर आर्थिक उत्पादकता के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से समावेशी कौशल विकास पर केंद्रित है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) अपने प्रमुख कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 2.0) और पीएमकेवीवाई 3.0 के माध्यम से महिलाओं सहित सभी वर्गों के लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है। 10.07.2021 तक, पीएमकेवीवाई 2.0 (2018-19 से 2020-21 तक) और पीएमकेवीवाई 3.0 (2020-21 और 2021-22) के केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित (सीएससीएम) घटक के तहत प्रशिक्षित और नियोजित की गई महिलाओं का राज्य-वार विवरण क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दर्शाया गया है। संबोधि रिसर्च एंड कम्युनिकेशंस द्वारा आयोजित पीएमकेवीवाई 2.0 की तृतीय-पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट में पाया गया

है कि पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्तियों की औसत मासिक आय - अल्पावधि प्रशिक्षण(एसटीटी) उन व्यक्तियों के तुलनात्मक समूह की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक थी, जिन्होंने पीएमकेवीवाई में हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा, पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)-प्रमाणित व्यक्तियों की औसत मासिक आय गैर-आरपीएल प्रमाणित व्यक्तियों के तुलनात्मक समूह की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक पाई गई।

एमएसडीईके अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने अपनी शिल्प कौशल प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत 14,604 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आटीआई) के नेटवर्क के माध्यम से दीर्घकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया है। डीजीटी द्वारा 2015 में आईटीआई पास आउट के लिए किए गए ट्रेसर अध्ययन के अनुसार, 63.5 प्रतिशत उत्तीर्ण व्यक्तियों ने या तो वेतन-रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त किया था। शैक्षणिक वर्ष 2018, 2019 और 2020 के लिए प्रशिक्षित महिला उम्मीदवारों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है। जहां तक शिक्षुता प्रशिक्षण का संबंध है, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा आयोजित तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट में पाया गया है कि 74 प्रतिशत शिक्षुओं ने शिक्षुता पूरी करने के बाद वेतन रोजगार प्राप्त किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) के अंतर्गत प्रशिक्षित महिला शिक्षुओं की संख्या **अनुबंध-IV** में दी गई है।

(ग) और (घ) पीएमकेवीवाई के सूचीबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कार्यक्रमों और उपायों सहित विभिन्न पद्धतियों; स्व-लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग, कॉल सत्यापन, कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली (एसडीएमएस)के माध्यम से औचक निरीक्षणऔर निगरानी,कौशल प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्रों का प्रत्यायन (स्मार्ट), आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आदि के माध्यम से प्रभावी ढंग से निगरानी की जा रही है। स्कीम के अंतर्गत, पीएमकेवीवाई निगरानी समिति हितधारकों के निगरानी मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा और फ्रेमवर्क तैयार करती है। साथ ही, समिति ने दोषी/अनुपालन न करने वाले प्रशिक्षण केंद्रों/हितधारकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पेनल्टी ग्रिड (पीएमकेवीवाई के लिए संचालन समिति द्वारा अनुमोदित) तैयार किया है। पेनल्टी ग्रिड के आधार पर, एमएसडीई के अंतर्गत पीएमकेवीवाई की कार्यान्वयन एजेंसी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने कई मापदंडों पर पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों को निलंबित किया है और समय-समय पर पीएमकेवीवाई की आधिकारिक वेबसाइट पर सूची प्रकाशित की है। अब तक, विभिन्न स्थानों पर 306 प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) को निलंबित किया गया है। पीएमकेवीवाई 2.0 के अंतर्गत निलंबित प्रशिक्षण केंद्रों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-V** में दिया गया है।

अनुबंध-I

2018-19 से2020-21 तक पीएमकेवीवाई 2.0स्कीम के सीएससीएमघटक के तहत प्रशिक्षित और नियोजित महिला उम्मीदवारों का राज्य-वार ब्योरा

क्र.सं.	राज्य	वित्त-वर्ष 2018-19		वित्त-वर्ष 2019-20		वित्त-वर्ष 2020-21	
		प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	5,423	103	22,582	736	19,567	197
2	आंध्र प्रदेश	14,959	10,836	16,125	6,876	22,572	1,766
3	अरुणाचल प्रदेश	348	-	3,229	1,286	6,395	1,243
4	असम	22,489	4,850	117,704	8,115	202,218	4,623
5	बिहार	26,871	12,541	70,502	13,957	31,877	4,016
6	चंडीगढ़	2,493	906	2,048	401	367	42
7	छत्तीसगढ	13,886	5,077	20,334	4,442	5,257	414
8	दिल्ली	35,017	19,433	52,747	6,325	17,604	3,302
9	गोवा	374	119	581	10	112	-
10	गुजरात	31,772	6,218	42,603	9,486	11,651	4,453
11	हरियाणा	36,124	33,388	37,145	12,600	12,586	2,649
12	हिमाचल प्रदेश	14,701	5,133	20,540	5,626	4,960	1,128
13	जम्मू और कश्मीर	17,332	10,883	51,310	5,841	23,214	3,287
14	झारखंड	10,584	5,086	49,156	4,234	5,624	730
15	कर्नाटक	36,648	12,343	62,353	10,655	11,379	2,216
16	केरल	14,559	3,124	19,364	2,515	8,870	400
17	लद्दाख	127	-	1,143	540	118	44
18	मध्य प्रदेश	54,131	34,091	93,199	23,857	31,890	7,417
19	महाराष्ट्र	37,354	9,049	179,585	8,563	33,370	2,888
20	मणिपुर	887	167	11,871	1,284	20,574	884
21	मेघालय	3,004	675	4,513	1,368	3,945	441
22	मिजोरम	710	37	2,588	599	3,737	284
23	नगालैंड	705	157	6,668	268	3,435	119
24	उड़ीसा	32,493	10,092	80,595	9,979	22,281	1,526
25	पुदुचेरी	813	649	1,650	906	1,297	452
26	पंजाब	32,289	24,872	27,238	9,431	11,223	3,188
27	राजस्थान	59,559	24,600	192,494	13,179	32,746	7,689
28	सिक्किम	766	-	1,480	520	1,688	413
29	तमिलनाडु	57,283	28,540	69,262	18,219	27,686	3,375
30	तेलंगाना	17,433	15,446	27,505	8,450	7,638	2,232
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	971	246	1,590	636	169	157
32	त्रिपुरा	2,016	1,606	19,651	1,548	17,158	390
33	उत्तर प्रदेश	96,735	43,816	249,425	34,582	90,420.0	12,840.0
34	उत्तराखंड	14,190	7,581	21,836	6,718	6,412.0	2,415.0
35	पश्चिम बंगाल	31,409	15,397	61,787	13,303	21,567.0	3,099.0

अनुबंध-II

2020-21 से2021-22 में पीएमकेवीवाई 3.0स्कीम के सीएससीएमघटक के तहत प्रशिक्षित और नियोजित महिला उम्मीदवारों का राज्य-वार ब्योरा (अब तक)

क्र.सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22	
		प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	714	-	471	151
2	अरुणाचल प्रदेश	48	-	687	-
3	असम	330	-	824	36
4	बिहार	1,088	-	481	74
5	चंडीगढ़	25	-	1	-
6	छत्तीसगढ	-	-	19	-
7	दिल्ली	448	21	372	109
8	गुजरात	712	-	1,064	54
9	हरियाणा	673	-	396	385
10	हिमाचल प्रदेश	350	-	131	-
11	जम्मू और कश्मीर	565	-	699	147
12	झारखंड	-	-	45	-
13	कर्नाटक	1,084	-	427	133
14	केरल	64	-	257	7
15	मध्य प्रदेश	591	-	886	-
16	महाराष्ट्र	660	-	268	25
17	मणिपुर	30	-	775	-
18	मेघालय	-	-	16	-
19	मिजोरम	57	-	77	-
20	नगालैंड	90	-	116	36
21	उड़ीसा	1,343	-	863	-
22	पुदुचेरी	245	-	377	-
23	पंजाब	331	-	451	41
24	राजस्थान	1,205	-	851	150
25	सिक्किम	6	-	141	11
26	तमिलनाडु	947	-	1,009	152
27	तेलंगाना	434	-	1,538	217
28	त्रिपुरा	28	-	101	-
29	उत्तर प्रदेश	3,268	9	3,746	86
30	उत्तराखंड	-	-	538	192
31	पश्चिम बंगाल	-	-	1,734	201

अनुबंध-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीटीएस स्कीम के तहत प्रशिक्षित महिला उम्मीदवारों का राज्य-वार ब्योरा

क्र.सं.	राज्य के नाम	2018	2019	2020
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	122	130	235
2	आंध्र प्रदेश	1984	2086	1461
3	अरुणाचल प्रदेश	190	200	151
4	असम	666	755	744
5	बिहार	2476	4834	0
6	चंडीगढ़	543	462	414
7	छत्तीसगढ	5542	5828	5397
8	दादरा और नगर हवेली	0	0	21
9	दमन और दीव	36	19	20
10	दिल्ली	4469	2978	2673
11	गोवा	431	359	314
12	गुजरात	17260	12958	13077
13	हरियाणा	14104	10655	8387
14	हिमाचल प्रदेश	4883	5159	2764
15	जम्मू और कश्मीर	883	1989	2780
16	झारखंड	672	1076	0
17	कर्नाटक	4439	3723	2921
18	केरल	7189	6916	5946
19	लक्षद्वीप	35	97	137
20	मध्य प्रदेश	10010	10031	7798
21	महाराष्ट्र	21248	17693	3292
22	मणिपुर	14	11	13
23	मेघालय	266	228	65
24	मिजोरम	131	78	81
25	नगालैंड	30	42	48
26	उड़ीसा	4836	4499	5161
27	पुदुचेरी	148	117	134
28	पंजाब	10857	10426	13112
29	राजस्थान	9026	10441	8406
30	सिक्किम	172	98	102
31	तमिलनाडु	4801	4219	3875
32	तेलंगाना	2276	1977	1562
33	त्रिपुरा	575	387	477
34	उत्तर प्रदेश	41575	39314	24522
35	उत्तराखंड	2375	2104	0
36	पश्चिम बंगाल	3186	3552	4321
योग		**177450**	**165441**	**120411**

अनुबंध-IV

एनएपीएस स्कीम के तहत प्रशिक्षित महिला उम्मीदवारों का राज्य-वार ब्योरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	0	0	1
2	आंध्र प्रदेश	269	605	720
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4	असम	88	311	410
5	बिहार	62	134	233
6	चंडीगढ़	8	47	39
7	छत्तीसगढ	197	825	278
8	दादरा और नगर हवेली	3	2	84
9	दमन और दीव	1	7	12
10	दिल्ली	84	578	1252
11	गोवा	19	176	338
12	गुजरात	1616	5847	8858
13	हरियाणा	906	2778	4803
14	हिमाचल प्रदेश	65	225	283
15	जम्मू और कश्मीर, लद्दाख	7	28	45
16	झारखंड	149	478	818
17	कर्नाटक	389	1503	2766
18	केरल	189	638	1076
19	लक्षद्वीप	0	0	3
20	मध्य प्रदेश	354	1001	1464
21	महाराष्ट्र	1361	5195	11701
22	मणिपुर	0	1	2
23	मेघालय	2	3	16
24	मिजोरम	0	0	0
25	नगालैंड	0	1	0
26	उड़ीसा	160	583	589
27	पुदुचेरी	20	68	58
28	पंजाब	94	397	704
29	राजस्थान	170	580	1014
30	सिक्किम	0	7	23
31	तमिलनाडु	390	1617	4032
32	तेलंगाना	328	1223	2296
33	त्रिपुरा	37	38	43
34	उत्तर प्रदेश	693	1837	3254
35	उत्तराखंड	120	345	677
36	पश्चिम बंगाल	106	667	1191
योग		**7886**	**27744**	**49081**

अनुबंध-V

पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत निलंबित किए गए प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी)का राज्य-वार ब्योरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निलंबित टीसी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2
3	असम	5
4	बिहार	5
5	चंडीगढ़	3
6	छत्तीसगढ	6
7	दिल्ली	9
8	गुजरात	6
9	हरियाणा	20
10	हिमाचल प्रदेश	6
11	जम्मू और कश्मीर	14
12	झारखंड	9
13	कर्नाटक	4
14	केरल	5
15	मध्य प्रदेश	11
16	महाराष्ट्र	11
17	मणिपुर	0
18	मेघालय	0
19	मिजोरम	0
20	नगालैंड	2
21	उड़ीसा	12
22	पुदुचेरी	2
23	पंजाब	6
24	राजस्थान	67
25	सिक्किम	0
26	तमिलनाडु	15
27	तेलंगाना	4
28	त्रिपुरा	4
29	उत्तर प्रदेश	67
30	उत्तराखंड	2
31	पश्चिम बंगाल	9
	सकल योग	**306**

****